न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
राजस्व वाद संख्या 07/2016

श्रीमति आफू पत्नि श्री रेमता जी रावत जाति रावत उम्र लगभग 77 साल निवासीनी ग्राम दोलतपुरा ग्राम पंचायत जामोला पुलिस थाना मसूदा जिला अजमेर। .....वादीगण

बनाम

1. भाला पुत्र श्री मेवा रावत उम्र लगभग 50 साल
2. हरजी पुत्र श्री गोकल रावत उम्र लगभग 35 साल
3. चान्दमल पुत्र श्री प्रभू रावत उम्र लगभग 30 साल

   समस्त निवासीगण ग्राम दोलतपुरा ग्राम पंचायत जामोला पुलिस थाना मसूदा जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर। .....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

इस वाद पत्र में साराशतः निवेदन किया है कि ग्राम दोलतपुरा पटवार क्षेत्र जामोला तहसील मसूदा स्थित आराजी ख0 न0 634/1 रक्बा 1–16–00 व 634/2 रक्बा 1–16–00 कुल किता 2 रक्बा 3–12–00 बीघा में वादिया श्रीलेखराज पारसमल पिता दयालराम उर्फ दयाराम से जरिये रजिस्टर्ड बेचानामा खरीद कर काबिज चली आ रही है प्रतिवादीगण स0 1 से 3 की नियतबद है और वे वादिया की आराजी को हड़पना चाहते है। जब कि वादिया ने इन आराजियात को बेचान रहन आदि नही किया है इस बाबत् तहसीलदार महोदय से निवेदन करने पर कोई कार्यवाही नही की है अतः वाद लाने की आवश्यकता हुई है।

वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि यह घोषित किया जावे कि विवादित आराजी से प्रतिवादीगण को कोई सरोकार नही है तथा उन्हे वादिया की फसल को काटकर ले जाने के अधिकार नही है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादिया के विवादित आराजी में चले आ रहे कब्जे काश्त में दखलंदाजी से मुमानियत की जावें तथा वादिया की खातेदारी की भूमियों में जाने के रास्ते में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करें।

प्रतिवाद पत्र में प्रतिवादी स0 4 ने निवेदन किया है कि विवादित आराजी बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा पर लागू होता है कथित रास्ते के संदर्भ में ये धाराऐ लागू नही होती है। प्रस्तुत वाद पर रास्ते की रिलीफ नियमानुसार देय नही है।

आज पत्रावली न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प मु0 जामोला पेश हुई वादिया एवं प्रतिवादी स0 1 उपस्थित वकील वादिया उपस्थित उन्हे सुना गया। वकील वादी के तर्क रहे की प्रतिवादी स0 1 से 3 वादिया के खेत पर जाने के रास्ते को रोक दिया है और उसे उसके खेतो पर नही जाने दे रहे है अतः जरिये स्थाई निषेधाज्ञा उन्हे निषेध किया जावे। प्रतिवादी स0 1 ने निवेदन किया कि हम वादिया के खेतो में किसी प्रकार की दखलंदाजी नही करते अपितु वादिया हमारे खेतों को बिगाड़ कर खेतो के मध्य से रास्ता निकालना चाहती है जबकि वैकल्पि रास्ता मौजूद है जिससे वादिया को विक्रेतागण आते जाते है। वाद सव्यय निरस्त किया जावे।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया और प्रकरण में गंभीरता पूर्वक मनन करने पर वादिया निरर्रथ कथनों पर यह वाद लाई है और वह जिन धाराओं में वाद लाई है उनके विपरीत रास्ते बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा चाहती है वाद पत्र में भी स्पष्ट नही किया है कि रास्ता किन किन खसरा नम्बरान में अवस्थित है।

वादिया का वाद स्वीकार नही पाया जाता है अतः सव्यय निरस्त किया जाता है।
निर्णय आज दिनांक 12.06.2017 को सरे इललास सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.11.29 13:28:35 IST
Reason: SelfAttested